राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

मूंगफली गुली निकालने एवं मूंगफली बीज के सुरक्षित भंडारण हेतु निविदा–प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	27.10.2021	13.00 बजे तक
2.	बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक	27.10.2021	14.00 बजे तक
3.	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	27.10.2021	15.00 बजे
4.	प्री–बिड मिटिंग दिनांक	20.10.2021	प्रातः 11.00 बजे
5.	प्री–बिड मिटिंग स्थान	राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ रोड़, जयपुर	

अनुक्रमणिका (Index)

क्र. सं	विवरण	पेज.नं.
1.	बोली आमंत्रण सूचना	3–4
	भाग–अ	
2.	अनुभाग. 1 निविदादाता हेतु दिशा निर्देश	6–12
3.	अनुभाग. 2 निविदा हेतु सामान्य नियम व शर्तें	13–15
4.	अनुभाग. 3 निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म), तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र (Technical Bid)	16–17
5.	तकनीकी निविदा हेतु संलग्नकों की चैक लिस्ट	18
	Annexure-A Compliance with Code of Integrity And no conflict of interest.	19
6.	Annexure-B Declaration by the bidder Regarding qualification .	20
7.	Annexure-C Grievance redressal during Procurement process.	21–23
8.	Annexure-D Additional conditions of contract.	24–25
9.	Annexure-E Format for Declaration & Undertaking	26
10.	Annexure-F Bid Securing Declaration	27
11.	Annexure-G अनुबन्ध पत्र	28
12.	Annexure-H Groundnut Seed Varietywise Detail	29
13.	Annexure-I मूंगफली गलीदाना (Kernel) हेतु आवश्यक मशीनें/उपकरण	30
	भाग–ब	
14	कार्य विवरण (Work of Scope)	32
	भाग–स	
15.	मूंगफली उत्पादित इकाईयों के नाम व पते	34

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

No. /राजसीड्स/विधायन/2021-22/ 16017 दिनांक 14.10.2021

बोली आमंत्रण– सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मूंगफली से गुली निकालने एवं मूंगफली बीजों के सुरिक्षत भण्डारण का अनुभव रखने वाले बीकानेर एवं सीकर स्थित इकाईयों से दो लिफाफो में (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) निर्धारित प्रपत्र में ई–निविदा **दिनांक 27.10.2021** को **13.00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	फसल का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विं.)	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	टेण्डर फीस (राशि रूपये में)	प्रोसेसिंग फीस (राशि रूपये में)
1	मूंगफली	5290	18.00	1180	590

1. यह निविदा राज्य सरकार की ई–निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org. एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए ई–निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर **दिनांक 27.10.2021 को 13.00 बजे तक** अपलोड किये जा सकते है।
2. प्री–बिड मीटिंग **दिनांक 20.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी और प्री–बिड मीटिंग के बाद कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का ऑनलाईन/डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का ऑनलाईन/डिमाण्ड–ड्राफ्ट MD,RISL,जयपुर के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड–ड्राफ्ट मुख्यालय जयपुर पर **दिनांक 27.10.2021 को 14.00 बजे तक** तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।
4. प्राप्त ई–निविदाओं की तकनीकि निविदा **दिनांक 27.10.2021 को 15.00 बजे** खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
5. तकनीकी एवं वित्तिय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
6. निर्धारित बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

7. निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ बिड सिक्योरिटी के स्थान पर 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन (Annexure–F) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्टाम्प पेपर केवल राजस्थान से क्रय किया हुआ ही स्वीकार किया जावेगा।
8. उक्त ई–निविदा केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
9. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
10. निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जावेगी।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था का होगा।
12. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी समय मिथ्या पाये जाते है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है। अथवा बोलीदाता को डिबार भी किया जा सकता है या दोनों प्रकार की शास्ती लगाई जा सकती है ऐसी बोली किसी भी स्तर पर अस्वीकार की जा सकेगी।
13. अनुबंधित कार्य हेतु इच्छुक निविदादाता टेण्डर एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि निगम के खाते में ऑनलाईन भी जमा करवा सकते है। ऑनलाईन राशि जमा कराने पर जमा कराई गई राशि की रसीद ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन राशि जमा करवाने के लिए निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है :–

1	**संस्था का नामः–**	**राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर**
2	**बैंक का नामः–**	**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया**
3	**सी.सी. खाता संख्या :–**	**51052136667**
4	**आई.एफ.एस.सी. कोडः–**	**SBIN0031781**
5	**ब्राँच का नाम :–**	**कॉमर्शियल ब्रान्च, जयपुर**

(जैसवंत सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

भाग—अ

अनुभाग–1

निविदादाता हेतु दिशा–निर्देश

1. **बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है कि बोली प्रकिया मे भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रकिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदंर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेवसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भांति पढ़/समझ लिया जावें। किसी भी समय इन अधिनियम एंव नियमो तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।**
2. **<u>स्कोप ऑफ बिड़</u>** :– उपापन संस्था द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में दिऐ गऐ कार्य के लिए ई–प्राक्येरमेंट के माध्यम से ऑन–लाईन बोली (निविदाऐं) आमंत्रित की जाती है।
3. **<u>सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Intergity)</u>** :– कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानो के तहत् निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को बिड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र (Annexure-A)में कोड ऑफ इन्ट्रेग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. **<u>बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघनः–</u>** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानो के अनुसार बोलीदाता के विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी।
5. **<u>पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :–</u>**

(A) एक बोलीदाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयो/सस्था, पात्र हो सकते है।

(B) अधिनियम की धारा 46 अधीन के किसी भी संस्था द्वारा डिबार किया हुआ कोई भी बोलीदाता बोली प्रकिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

(C) उपापन संस्था द्वारा मांगे जाने पर, बोलीदाता द्वारा निरन्तर संतोषजनक पात्रता बनाऐं रखने के साक्ष्य प्रदान करेगा।

(D) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जावें।

(E) जो बोली दाता GST IN में में रजिस्टर्ड नहीं है, बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के बोली रिजक्ट कर दी जायेगी।

(F) बोलीदाता द्वारा फर्म के संविधान में उपापन संस्था की पूर्वानुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

नोट :– यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र बिड प्रस्तुत करने की दिनांक को अवधिपार हो गया है और फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है तो नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :–** बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्ते, तकनिकी बिड़, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होगें।

7. **बोली दस्तावेजों का विक्रय :–** बोली दस्तावेजों का तिक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के निर्धारित दिनांक तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड डोक्यूमेन्ट फीस का भुगतान डी.डी. एवं ऑनलाईन भुगतान द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ में ऑनलाईन भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत करनी होगी। जिसे ई–प्रोक्यूरमेन्ट पर भी तकनिकी बिड़ के साथ अपलोड करना होगा।

i. बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ii. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशो, फार्म, शर्ते, को भलीभॉति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाऐ, डाक्यूमेन्ट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

8. **प्री बिड मीटिंग** :– **दिनांक 20.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे** बोली दस्तावेज के क्लेरिफिकेशन इत्यादि के सम्बन्ध में प्री–बिड मीटिंग मुख्यालय RSSC जयपुर में रखी जावेगी। बोलीदाता को निविदा की किसी भी शर्त, स्पेसिफिकेशन इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का शक (Doubt) हो तो प्री–बिड मीटिंग में क्लेरिफिकेशन ले सकेगा जो कि बोलीदाता को लिखित में प्रस्तुत करना होगा। प्री–बिड मीटिंग के पश्चात् किसी भी भावी बोलीदाता का क्लेरिफिकेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

9. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजो में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. **बोली दस्तावेजों में संशोधनः–**

(i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजो में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।

(ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजो का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

11. **बिड की लागतः–**बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेजः–** बोली दो लिफाफे में (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।

तकनिकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगाः–

(i) पूर्ण भर हुआ तकनिकी बिड फार्म।

(ii) सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।

(iii) बोलीदाता का कोड ऑफ इस्ट्रेग्रेटी का घोषणा पत्र (अण्डरटेकिंग)।

(iv) बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, बिड फीस एवं प्रोसेसिग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड–ड्राफ्ट एवं बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन की स्कैन कॉपी अपलोड़ करनी होगी।

(v) बिड दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकृत पत्र।

(vi) GST, PAN, ऑफिस कार्यालय का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी।

(vii) अन्य वांछित दस्तावेज

1. प्रमाणिकरण संस्था से रजिस्ट्रेशन।
2. मशीनों की सूची (Annexure-I)।
3. उपलब्ध गोदामों की लिस्ट।

(viii) तकनिकी क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाण–पत्र।

(ix) 100/– रू. के स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्ट/डिबार नहीं होने का शपथ–पत्र, यह स्टाम्प पेपर केवल राजस्थान से क्रय किया हुआ ही स्वीकार किया जावेगा (Annexure-E)।

13. **बिड प्राईज और डिस्काउण्टः–**

i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावें, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावें। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किऐ जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।

ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।

iii. बिड में प्रस्तुत दर समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावें। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावें। प्रस्तुत की गई दरें अनुबन्ध अवधि दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 के लिए फिक्स (निर्धारित) होगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों अनुसार देय होगी।

14. **बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :–** बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबिन्धों एवं शर्तो की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किऐ प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

15. **स्वीकृत निविदा की अवधि :–** निविदा में स्वीकृत की गई दरें दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 के तक वैद्य होगी। आवश्यकता होने पर अनुबन्ध की अवधि RTTP नियमों के प्रावधान अनुसार बढ़ायी जा सकेगी। फर्म/बोलीदाता बढ़ायी गयी अवधि में अनुबंधित कार्य करने हेतु बाध्य होंगे।

16. **बोलियो की वैधता अवधि :–** बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकि निविदा खोलने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए विधिमान्य होगा। 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी। आवश्यकता होने पर उपापन संस्था द्वारा निवेदन करने पर बिड़ की वैधता अवधि 90 दिवस से अधिक बिडर की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

17. **बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशनः–** बोलीदाता को बिड सिक्योरिटी के स्थान पर रू. 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तकनीकी निविदा के साथ बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन Annexure-F प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्टाम्प पेपर केवल राजस्थान से ही क्रय किया जावेग.।

18. अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/– रू० के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा डीबार/काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है यह स्टाम्प पेपर केवल राजस्थान से क्रय किया हुआ ही स्वीकार किया जावेगा

19. **बोली प्रस्तुत करना एवं बोली खोलना :–**

(i) बोलीदाताओं द्वारा बोली राज्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।

(ii) बोलदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई–प्राक्यूरमेन्ट द्वारा बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में बोलीदाता बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय से पूर्व ही ई–पोर्टल पर अपनी बिड अपलोड करें। अन्तिम समय में किसी कारण से बिड अपलोड नहीं कर पाने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

(iii) बोलीदाता द्वारा तकनिकी बोली एवं वित्तीय बोली पृथक–पृथक प्रस्तुत की जावेगी।

20. **बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal)** :– किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपान्तरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

21. **बिड खोलना (Bid Opening):–**

(i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल तकनिकी बिड खोली जावेगी। उपस्थित निविदादाताओं की एक सूची तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये जायेगें।

(ii) तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संस्था द्वारा तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।

(iii) तकनिकी बिड में असफल बोलीदाताओं को जिन मापदण्डो के आधार पर असफल घोषित किया गया है, लिखित में सूचित किया जायेगा।

22. **नेगोशिएसन (बातचीत):–**

(i) एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन पद्धति के सिवाय, जहाँ तक सम्भव हो, नेगोशिएसन नहीं किया जायेगा; तथापि

(ii) नेगोशिएसन केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियाँ में किया जा सकेगा :–

(क) जब बोली लगाने वालों ने समूह कीमते (रिंग प्राईज/पूल करके) कोट की गई हो या

(ख) जब कोट की गई दरे और बाजार दरों में बहुत अधिक अन्तर हो।

(iii) बोली मूल्यांकन समिति को, कारण को अपलिखित करते हुये, नेगोशिएसन करने की पूर्ण शक्तियाँ होगी।

(iv) नेगोशिएसन के लिए न्यूनतम बोलीदाता को लिखित में सूचित किया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जाऐगा। अति आवश्यक होने पर इस अवधि को कम किया जा सकेगा, बशर्ते बोलीदाता को सूचना मिल जानी चाहिए एवं इसकी सहमति बिडर से भी ले ली गई हो।

(v) यदि नेगोशिएसन उपरान्त भी संतोषप्रद दरे प्राप्त नहीं होती है तो मूल्यॉकन समिति न्यूनतम निविदा दाता को लिखित में काउण्टर ऑफर दे सकेगी, यदि बोलीदाता द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं किया जाता है तो द्वितीय (L_2) तृतीया (L_3)या इस प्रकार समस्त को काउण्टर ऑफर दिया जा सकेगा।

(vi) यदि काउण्टर ऑफर के उपरान्त भी मूल्याँकन समिति दरों को अधिक होना स्वीकार करती है तो रि–टेण्डर आमन्त्रित किया जा सकेगा।

23. **किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :–** निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने/निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

24. **सफल बोली और निविदा स्वीकृति :–**

(i) मूल्यांकन समिति की अभिशंषा/निविदा की शर्तो, आदि के आधार पर उपापन संस्था बोली स्वीकार/अस्वीकार करेगा।

(ii) उपापन संस्था बोली स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।

(iii) बोली तभी सफल मानी जावेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(iv) उपापन संस्था, सफल बोलीदाता को लिखित में, बोली की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, सूचना देगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

25. **अनुबन्ध–पत्र (Agreement) निष्पादित करना :–**

(i) सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस में में 500/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र (Annexure-G) में अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करेगा। स्टाम्प पेपर की कीमत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादन करने या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो उपापन संस्था द्वारा बोलीदाता की बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं इन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकेगी।

26. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Bid Performance Security) :–**

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि कार्य आदेश मूल्य के 2.5 प्रतिशत होगी।

(ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जा सकेगी :–

(क) ई–ग्रास के माध्यम से

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक

(ग) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैक गारन्टी। उपापन संस्था द्वारा प्राप्त बैंक गारन्टी को जारी करने वाले बैक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी बैंक की नियत जमा रसीद (एफ.डी.आर.) इसके लिए बैक से अण्डरटेकिंग भी ली जायेगी।

27. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना :–**

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या आँशिक (पार्टली) निम्न मामलो में जब्त कर ली जावेगी :–

(i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या

(ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंधित कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या

(iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंधित कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या

(iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या

(vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमो के अन्तर्गत बोली दस्तावेजो में बोलीदाताओ के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नोट :–उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अंन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

28. **निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया :–** बोलीदाता निविदा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शिकायत इस अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रथम अपील अधिकारी अपने प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव (बजट) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अपील कर सकेगा।

29. <u>अपीलः–</u> RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लघंन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म (Annexure-C) में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।

30. निविदा प्रपत्र के भाग–अ के अनुभाग–3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।

31. टेंडर में सभी वैधानिक औपचारिकताऐं GST, आयकर, (यदि लागू हो) एवं प्रमाणिकरण संस्था से रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

32. **राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु समय–समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।**

अनुभाग–2

निविदा के नियम एवं शर्तें

1. अनुबंध दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 के लिये मान्य होगा ।
2. **अनुबन्ध (Agreement) निष्पादित करना** :– उपापन सस्था एवं सफल बोलीदाता के बीच एक अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जावेगा, बोली दस्तावेज में उल्लेखित शर्ते, बोली आमंत्रण सूचना, बिड प्रोफार्मा, बोली दस्तावेजो में सशोधन, यदि कोई हो, अनुबन्ध पत्र का हिस्सा/भाग होगें।
3. **नोटिस** :– एक पार्टी द्वारा दुसरी पार्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस लिखित में दिया जावेगा, नोटिस डिलीवर्ड होने की दिनांक से या नोटिस में प्रभावी होने की दिनांक अंकित होने पर, जो भी बाद में हो, प्रभावी माना जावेगा।
4. **अप्रत्याशित घटना घटित होने पर (Force Majeure) :–**

   (i) यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो सफल निविदादाता के नियंत्रण से बाहर है एवं कार्य करने में सफल निविदादाता की लापरवाही के कारण विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण अनुबन्ध के तहत कार्य करने में विफल रहने पर निविदादाता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी घटनाऐ में संप्रभु क्षमता, वार/क्रान्ति, आग, बाढ, महामारी, संगरोध प्रतिबन्ध इत्यादि शामिल होंगे।।

   (ii) सफल निविदादाता द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त इस तरह के हालतो, कारणों एवं उसके प्रभावों की लिखित में उपापन संस्था को सूचना देगा, जब तक उपापन संस्था द्वारा लिखित में कोई निर्देश नहीं दिऐ गऐ हो सफल निविदादाता तब तक अपने दायित्वो की फरफोरमेन्स जारी रखेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेगा।
5. **कॉन्ट्रेक्ट को सबलैट करना:–** अनुबंधकर्ता द्वारा बिना उपापन संस्था की पूर्वानुमनि के कॉन्ट्रेक्ट सैबलेट नहीं किया जावेगा।
6. **अनुबंधकर्ता की जिम्मेदारी :–** अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार सम्पूर्ण अनुबंधित कार्य करने की जिम्मेंदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
7. बीज के कट्टों की समस्त प्रकार की हैण्डलिंग के समय हूक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बोरियों व कट्टों पर हुक का प्रयोग निषेध है । अगर हुक का प्रयोग करने से कट्टों/बोरियों का या बीज का नुकसान होता है तो उस राशि का नुकसान अनुबंधकर्ता को वहन करना होगा।
8. किसी भी क्षति के लिये अनुबंधकर्ता स्वय जिम्मेदार होगा! यदि अनुबंधकर्ता या उसके मजदूरों की गलती से निगम को कोई हानि पहुंचती है तो अनुबंधकर्ता के भुगतान में से राशि वसूल कर ली जायेगी।
9. ठेके के सभी कार्य निगम कार्यालय के प्रतिनिधि के निर्देशों के अनुसार करना होगा।
10. फसल की किस्म बदलने पर मशीन की सफाई अनुबंधकर्ता को करनी होगी ।
11. अनुबंधकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चैक/ आर.टी.जी.एस द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
13. विधायन कार्य के समय संयंत्र परिसर में गोदामों की नियमित सफाई अनुबंधकर्ता करवायेगा एवं इस कार्य के लिए अलग से मजदूरी नहीं दी जावेगी ।

14. गोदामों में रॉ बीज स्टेक से उठाकर ले जाने के पश्चात् स्टैक स्थल पर पूर्ण सफाई कर बिखरा हुआ बीज बोरियों में भरकर ग्रेडिंग स्थल/निर्दिष्ट स्थान पर निविदादाता द्वारा ही पहुँचाना होगा । इसके लिये अनुबंधकर्ता को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । गोदामों में कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोदामों में बीज कम से कम बिखरे एवं गोदाम हमेशा साफ रहे ।

15. अनुबंधकर्ता द्वारा स्टैक लगाकर निगम के अधिकारी/कर्मचारी को उसी दिन गिनती करवानी होगी।

16. अनुबंधकर्ता को आवश्यकता पडने पर एक से अधिक पारी में विधायन एवं पैकिंग कार्य करवाना होगा।

17. यह अनुबन्धकर्ता फर्म क्रॉप कलैण्डर (छायाप्रति संलग्न) अनुसार संयंत्र प्रभारी द्वारा आवंटित समस्त कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रति सप्ताह या सप्ताह के अंश पर 3000 रू० शास्ति भुगतान में से काटी जावेगी। यदि यह देरी अपरिहार्य कारणों से होती है जिसमें अनुबंधकर्ता का कोई दोष नहीं है ऐसी दशा में प्रबन्ध निदेशक कारणों के विवेचन के उपरान्त शास्ति माफ कर सकते हैं।

18. बीज विधायन के समस्त कार्यों के समय अनुबंधकर्ता अथवा उनका सुपरवाइजर पूर्णकालिक रूप से विधायन संयंत्र पर उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित करवाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति को वापस लौटाना</u> :– सप्लायर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति संतोषप्रद सप्लाई पूर्ण होने/ अनुबन्ध समाप्त होने पर बिना ब्याज वापस लौटा दी जावेगी।

21. <u>रिस्क एण्ड कॉस्ट परचेज</u> :–

(i) सप्लायर अनुबन्ध के अनुसार अनुबंधित कार्य करने में विफल रहता है तो, उपापन संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर, सप्लायर की रिस्क एवं कॉस्ट पर अनुबंधित कार्य कराया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य करने से उपापन संस्था को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है तो उसकी सम्पूर्ण वसूली सप्लायर से की जायेगी।

(ii) उपापन संस्था के पास सप्लायर की कोई राशि जमा नहीं होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली RTPP अधिनियम की धारा 53 या अन्य कानूनों के तहत् की जा सकेगी।

<u>22. अनुबन्ध को निरस्त किया जाना :–</u> उपापन संस्था द्वारा निम्न मामलों में सम्पूर्ण अनुबन्ध या उसके किसी भाग को निरस्त (टरमीनेशन) किया जा सकेगा:–

(i) बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तो/इन अधिनियम एवं नियमों का उल्लघंन करने पर; या

(ii) सप्लायर द्वारा सम्पूर्ण अनुबंधित कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल रहने पर; या

(iii) सप्लायर द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लघन करने पर; या

(iv) उपापन संस्था किसी भी समय यह पाती है कि सप्लायर दिवालिया हो गया हो; या

(v) अनुबन्ध निरस्त करने वाले नोटिस में अनुबन्ध जिस दिनाँक से समाप्त किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जायेगा।

नोटः– उपापन संस्था द्वारा किसी भी अनुबन्ध को निरस्त करने से पूर्व सप्लायर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय पर नोटिस दिया जायेगा।

23. **<u>बोलीदाता/सप्लायर को डिबार किया जाना</u>** :– उपापन संस्था द्वारा किसी भी बोलीदाता/सप्लायर को निम्नलिखित मामलों में धारा 46 के तहत् अधिकतम 3 वर्ष के लिए डिबार किया जा सकेगा :–

(i) जब बोलीदाता, भष्ट्राचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या भारतीय दण्ड सहिंता, 1860 के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(ii) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या

(iii)जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या

(iv)जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंधित कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या

(v) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(vi) जब बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया गया हो; या

(vii) निविदादाता द्वारा झुठे, जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है; या

(viii) निविदा स्वीकृत कराने/कार्यादेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्यों को छिपाता है; या

(ix) सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करने के बाद अनुबन्ध के नियम और शर्तो की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में असफल होने पर।

नोटः–उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले/सप्लायर को धारा 46 के अधीन डिबार करने से पूर्व उसे सुनने का युक्तियुक्त (पर्याप्त) अवसर दिया जायेगा।

24. न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

25. राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में विधायन संयंत्र का पंजीकरण होना आवश्यक है लेकिन जिन निविदादाता फर्म का राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण नहीं है उन्हें न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के पश्चात् 15 दिवस में बीज प्रमाणिकरण संस्था में अपने विधायन संयंत्र का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

अनुभाग–3

निविदा–प्रपत्र (Tender Form)

सेवा में,

....

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

....

विषयः– **मूंगफली गुली निकालने एवं मूंगफली बीज के सुरक्षित भंडारण हेतु निविदा प्रपत्र अवधि दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 तक।**

महोदय,

1. निविदा दाता का नाम ....
2. पूर्ण पता ....
3. टेलीफोन नम्बर निवास.......................मोबाइल न0..................
4. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम..
5. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम..
6. बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन (50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ....
7. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
8. पेन नम्बर ....

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तो एवं निर्धारित कार्य विवरण का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

अनुभाग–3 (1)

तकनीकि निविदा हेतु प्रपत्र (Technical Bid)

सेवा में,

....

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

....

विषयः– मूंगफली गुली निकालने एवं मूंगफली बीज के सुरक्षित भंडारण हेतु निविदा प्रपत्र अवधि दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 तक।

1. बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (डिमान्ड ड्राफ्ट) संलग्न करें ....।
2. 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा/डीबार/ काली सूचिबद्ध नहीं हैं) संलग्न करें ....।
3. GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र एवं पैन नम्बर संलग्न करें ....।
4. प्रमाणिकरण संस्था से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र संलग्न करें ....
5. गोदामों की सूची संलग्न करें ....
6. मशीनों की सूची संलग्न करें ....

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन
तकनीकि निविदा हेतु संलग्नलकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	I. बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन II. निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑनलाईन जमा की रसीद III. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑनलाईन जमा की रसीद	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे एवं भौतिक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय तक मुख्यालय, जयपुर में जमा करवाना अनिवार्य है।	{ }
2	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
3	पेन नंबर	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
4	100 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
5	i. प्रमाणिकरण संस्था से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र। ii. मशीनों की सूची।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
6	गोदामों की सूची।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
7	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }

नोटः– उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or througha common third parties, that puts them in a position to have access to information abotu or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............................ Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or' tohave been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. 1/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt./public undertaking etc.

Date: Signature of bidder
Place: Name :
Designation:
Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is A.C.S. /P.S.A. Department of Agriculture Government of Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secetory finance (Budget) department , Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under pars (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in pars (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or througha registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 831

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

....

....

....

Supported by an Affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place ....

Date..........................

Appellant's Signature

Annexure-'D'

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be withotu any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods-or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation

Address:

Annexure-'E'

Declaration and Undertaking

(on non-judicial stamp paper of Rs.100/-)

I (Name and complete address) ______________________________ Sole Proprietor / authorised signatory of the firm (Name and complete address) ______________ do hereby solemnly affirm and declare that the individual/ firm/ company is not blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments in last three years from date of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I .... S/o .... (Designation) .... Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true & correct to the best of my knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any information furnished by me as above is found wrong, forged or fabricated the Corporation will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible and the firm may be Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

Form of Bid-Securing Declaration

(On Non-Judicial Stamp Paper of 50/- Purchased in Rajasthan Only)

Date :

Bid No.

Alternative No.:

To :

Managing Director
Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we ate required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;

(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and

(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;

(ii) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;

(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.

(iv) The cancellation of the procurement process; or

(v) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.: ....

Name : ....

In the capacity of : ....

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal ....

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

खण्ड–4

अनुबंध–पत्र

यह अनुबन्ध .... (दिन) .... (दिनांक) को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है एवं इसके पंजीकृत कार्यालय का पता पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर है एवं .... (इकाई) जिसका पता .... हैं। (प्रथम पक्षकार जिसे निगम कहकर संबोधित किया जा सकेगा एवं इसके समस्त अधिकृत अधिकारी सम्मिलित हैं) एवं (द्वितीय पक्ष मैसर्स .... फर्म का नाम एवं पूर्ण पता मय ई–मेल) (जिन्हें भविष्य में अनुबंधकर्ता कहकर संबोधित किया जा सकेगा, जिसमें उसके समस्त उत्तराधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।) के मध्य किया जाता हैं।

यह कि निगम द्वारा अपने मूंगफली गुली निकालने एवं मूंगफली बीज के सुरक्षित भण्डारण कार्यों के लिये निविदा क्रमांक .... आमंत्रित की गई है। (जिसे क्रेता कहा जायेगा)

यह कि अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा में सफलता के उपरांत निगम द्वारा कार्य आदेश क्रमांक .... दिनांक के द्वारा .... (दर) पर कार्य करने के लिये सहमत है।

यह कि निगम एवं अनुबंधकर्ता द्वारा इस निविदा में शामिल किये गये समस्त दस्तोवजो निर्देशों एवं शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई है। मूंगफली गुली निकालने एवं मूंगफली बीज के सुरक्षित भण्डारण हेतु निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी।

यह कि अनुबंधकर्ता द्वारा निविदा की समस्त शर्तों, निर्देशों एवं दस्तावेजों के अनुसार अनुमोदित दरों पर कार्य करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

अनुबन्ध.की शर्तों में कोई भी संशोधन जबतक मान्य नहीं होंगे जब तक की दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में सहमति के पश्चात् इस प्रकार का संशोधन किया गया हो। साक्षी / गवाह में, दोनो पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से हस्ताक्षर मय तारीख होंगे।

अनुबंधकर्ता
की ओर से

साक्ष्य / गवाह

1.

2.

3.

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
की ओर से

साक्ष्य / गवाह

1.

2.

3.

Expected varietywise quantity of groundnut pods.

S.NO.	Variety	Class of Seed	Quantity of Raw Seed (in Qtl.)
1	RG-510	C/S-I	796.00
2	RG-510	C/S-II	2740
3	RG-578	C/S-II	1292
4	Girnar-4	F/S	24.00
5	RG-510	F/S	120.00
6	RG-578	F/S	212.00
7	RG-559-3	F/S	106.00
		G Total	**5290.00**

मूंगफली गलीदाना (Kernel) बीज विधायन संयंत्र के पंजीकरण हेतु आवश्यक मशीनें/उपकरणः–

मूंगफली गुलीदाना (Kernel) रॉ बीज के विधायन हेतु निम्नानुसार मशीनें/उपकरण विधायन संयंत्र में स्थापित होना अपेक्षित हैः–

1. Pre-cleaner
2. Destoner
3. Humidity Drum
4. Decorticator/ Sheller
5. Seed Grader
6. Gravity Separator
7. Round Separator (Babri Separator)
8. Seed Treater
9. Moisture meter
10. Vacum cleaner
11. उक्त मशीनों के अतिरिक्त गुलीदाना बीज के रंग आदि के आधार पर separation हेतु Color sorter/sortex & final grader मशीनें भी लगाई जा सकती है जो कि <u>ऐच्छिक</u> है।

<u>नोटः–</u> उपरोक्त विधायन मशीन राजस्थान राज्य बीज एवं प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण के लिए आवश्यक है। अतएव निविदादाता सुनिश्चित कर लें कि उक्त विधायन मशीनें उनके विधायन संयंत्र में स्थापित है।

भाग—ब

कार्य विवरण (Scop of work)

1. इन्टेक होने वाले मूंगफली रॉ बीज का अनलोडिंग कार्य एवं इन्टेक के समय पंखा लगाना तथा निगम के बैग्स में पैक कर कोड/मार्का लगाना एवं कोर्ड एवं मार्कावार भण्डारण।
2. भण्डारित रॉ बीज का रख–रखाव एवं कीट व्याधी से सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार उपचार। खरीफ 2021 में उत्पादित की जाने वाली मूंगफली की वेरायटीवार अनुमानित मात्रा का विवरण (Annexure-H) के अनुसार है।
3. मूंगफली पोड की सफाई/ग्रेडिंग, गुली दाना निकालना (डिकोर्टीकेशन), गुली की ग्रेडिंग, मूंगफली गुली की बल्क पैकिंग (आवश्यकतानुसार), मानक गुली बीज की पैकिंग, पैक्ड गुली बीज का भण्डारण (आवश्यकतानुसार), पैक्ड गुली बीज के परिवहन हेतु लोडिंग का कार्य।
4. उपरोक्त समस्त कार्य प्रशिक्षित कुशल श्रमिक के माध्यम से करवाना, स्वयं के अत्याधुनिक मूंगफली गुली निकालने के संयंत्र (न्यूनतम आवश्यकता Annexure-I के अनुसार) से गुली दाना निकालना, गुलीदाना निकालने की प्रक्रिया में प्राप्त हुये मूंगफली के छिलकों, टुकड़ो एंव अन्डर साईज बीज को अलग–अलग बोरियों में भरवाकर वजन करवा तथा इनका वजन आइटमवार सुरक्षित भंडारण। भण्डारण की अधिकतम अवधि दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 तक होगी।
5. उक्त समस्त कार्यों को करने के लिये बोलीदादाता के विधायन संयंत्र का पंजीकरण बीज प्रमाणिकरण संस्था में होना अनिवार्य है। अतः निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर बीज प्रमाणिकरण संस्था से पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
6. समस्त कार्य निगम एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधियों की देख–रेख में ही सम्पादित किया जावेगा।
7. इस कार्य हेतु सभी प्रकार का पैकिंग मेटेरियल लेबल, लेडसील एवं टैग निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा किन्तु कट्टो की सिलाई हेतु बैग क्लोजर, धागे एवं कट्टो पर किस्म, लॉट संख्या, नमी एवं वजन आदि की प्रिन्टिंग का कार्य अनुबंधकर्ता के स्वयं के खर्चो पर किया जावेगा।
8. इस कार्य में होने वाले विद्युत व्यय, जनरेटर डीजल इत्यादि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं के खर्चे पर किया जावेगा।
9. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में मूंगफली पोड की मात्रा का न्यूनतम 65 प्रतिशत गुली बीज की रिकवरी आवश्यक है।
10. निगम द्वारा इन समस्त कार्यों का भुगतान मानक मूंगफली गुली की पैक्ड मात्रा पर प्रति क्वि. की दर से किया जावेगा।
11. प्रमाणित मूंगफली गुली बीज की पैकिंग के समय कार्बनडेजिम 50 प्रतिशत WP रसायन के पाउच आवश्यकतानुसार पैक कर डाले जावेंगे, इस हेतु रसायन निगम द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
12. प्रमाणित मूंगफली गुली बीज की पैकिंग के समय मूंगफली फसल से सम्बन्धित लिटरेचर प्रत्येक बैग में डाला जावेगा जो कि निगम द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

भाग—स

इकाईयों के नाम व पतेः–

	इकाई का नाम	पता	एस.टी.डी.कोड एवं फोन नं.
	मुख्यालय	राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर	0141–2227513 0141–2227514 9414049723
1	सूरतगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. औद्योगिक क्षेत्र, सूरतगढ़	01509–220206 9799386001
2	नागौर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.,इंडस्ट्रियल एरिया, बालवा रोड़ नागौर	01582–290077 7568741865
3	घस्सू का बांस (सीकर)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. घस्सू का बांस, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला (सीकर)	01572–232001 9001571842
4	ढिंढोल (बस्सी)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तह. बस्सी, जिला–जयपुर (राज.)	0141-2550614 9829131138
6	अलवर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. नया बास, अलवर	0144-2701913 07619788906